2025: CGHC: 18287-DB4

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : दिनांक 24-03-2025 को
निर्णय पारित किया गया : दिनांक 23-04-2025 को

दाण्डिक अपील क्रमांक 1587/2019

सुना राम उईके पिता स्वर्गीय मनसाई उईके, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी: गाँव डोडेकादर, शिकारीपारा, पुलिस थाना बडगांव, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना बडगांव, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिए	:	सुश्री सविता तिवारी, अधिवक्ता।
उत्तरवादी के लिए	:	सुश्री एम. आशा, पैनल अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीशगण

सीएवी निर्णय

न्यायमूर्ति रजनी दुबे के अनुसार:

इस अपील में अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भानुप्रतापपुर, जिला द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 74/2016 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 28.10.2018 की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास से, रु. 500 के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में छह महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।

02. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में, यह है कि परिवादी जल्लूराम उईके ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 31.8.2016 को वह अपने व्यक्तिगत काम के संबंध में पंखाजुर गया था और शाम करीब 4 बजे उसे उसके कुटुंब के सदस्यों ने फोन पर सूचित किया कि सोमारी आरोपी सुनाराम के घर में मृत पड़ा हुआ है। इसके तुरंत बाद वह आरोपी के घर पहुंचा जहां 15-20 लोग एकत्रित हुए थे और आरोपी सुनाराम भी वहीं था। यह पूछे जाने पर, सुनाराम ने खुलासा किया कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए जब वह सुबह लगभग 11 बजे खेत में सो रही थी, उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस खुलासे के दौरान कई ग्रामीण उपस्थित थे। इस जानकारी पर आरोपी के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत प्र०सू० रिपोर्ट (प्रदर्श पी/13) दर्ज की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. अन्वेषण के दौरान, मर्ग सूचना प्रदर्श पी/14 दर्ज की गई, प्रदर्श पी/3 के अनुसार, शव की मृत्यु समीक्षा की गई; प्रदर्श पी/17 और प्रदर्श पी/09 के अनुसार नजरी नक्शा और पटवारी नक्शा तैयार किए गए; और शव को शव परीक्षण जांच के लिए भेजा गया जो प्रदर्श पी/07 के अनुसार अ.सा-4 डॉ. पीयूष कुमार सिंह द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने मत दिया था कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुए श्वासरोध के कारण श्वसन विफलता है और मृत्यु की प्रकृति मानववध है। प्रदर्श पी/1 के अनुसार, अभियुक्त का संस्वीकृति कथन दर्ज किया गया था। जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी/4 और पी/8 के अनुसार कुछ वस्तुओं को जब्त कर लिया गया और जांच के लिए एफएसएल को भेज दिया गया। सामान्य अन्वेषण पूर्ण करने के बाद, आरोपी के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तदनुसार आरोप विरचित किया गया था, जिसे उसका उसने अभित्यजन कर दिया था और विचारण के लिए अनुरोध किया था।

04. अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए 15 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त का कथन दं०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसमें उसने अभियोजन प्रकरण में उसके विरुद्ध दर्शित सभी आपराधिक परिस्थितियों से इनकार किया,

निर्दोष होने और गलत आलिप्तता का अभिवचन किया। तथापि, अपने प्रतिरक्षा में उसके द्वारा किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया।

05. संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार दण्डादिष्ट किया। इसलिए, यह अपील दाखिल की गई है।

06. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया हैं कि आक्षेपित निर्णय विधिक रूप से दोषपूर्ण, विकृत, त्रुटिपूर्ण है और अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर अनुमानों और अटकलों पर आक्षेपित निर्णय पारित किया था कि मृतक का अपीलार्थी के साथ प्रेम संबंध था। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ साक्षियों का परीक्षण किया गया है, परंतु वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ऐसी गुणवत्ता के नहीं हैं, जिन्हें अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सके। अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलार्थी संदेह का लाभ दिया जाकर भा०द०सं० की धारा 302 के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देवसाई चेरवा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, ILR 2023 Chhattisgarh 1027; शत्रुघ्न सिंह सिन्हा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, ILR 2023 Chhattisgarh 1051 के प्रकरणों में निर्णयों और **दाण्डिक अपील संख्या 457/2014 अनंत दत्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के प्रकरण में पारित इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.8.2022 का अवलंब लिया गया है।

07. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य

की सूक्ष्मता की विवेचना की और अपीलार्थी को उचित रूप से दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया। इस प्रकार, यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

08. पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

09. सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या सोमारी ध्रुव की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी?

10. अ.सा.-4 डॉ. पीयूष कुमार सिंह ने दिनांक 1.9.2016 को मृतक के शव का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईः

<u>बाहरी जाँचः</u>

यह लगभग 20 वर्ष की आयु की एक युवा महिला का शरीर है। शरीर ठंडा है और शव में अकड़न है। पैर और ऊपरी अंग फैले हुए हैं, मुँह बंद है, आँखें बंद हैं। गर्दन पर आगे की ओर दो बड़े नाखून के निशान हैं। चोट के निशान संभवतः अंगूठे पर हैं। दर्दनाक चोटों के कोई अन्य संकेत नहीं पाए गए हैं। मुट्ठी खाली है और यह कसकर बंद नहीं है। यौन अंगों के पास रक्तस्राव या चोट के कोई संकेत नहीं हैं। मृत्यु लगभग 6-12 घंटे पहले होने की संभावना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आंतरिक जाँचः</u>

विच्छेदन पर गर्दन पर चोट के नीचे अतिरिक्त घाव पाया गया है। हयॉइड हड्डी टूट गई है। दोनों फेफड़े अवरुद्ध हैं। हृदय के दोनों कक्ष गहरे रंग के थक्कों से भरे हुए हैं।

उनके मत में, मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण हुए श्वासरोध के फलस्वरूप श्वसन विफलता है और मृत्यु की प्रकृति मानववध की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/7 को प्रमाणित किया।

प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि अगर किसी का गला घोंटा जाता है, तो गर्दन पर विदीर्ण घाव हो सकता है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि ऐसे प्रकरणों में जीभ बाहर निकल जाती है। उनके प्रतिपरीक्षण ऐसा कुछ भी प्रमाणित नहीं किया गया है जिससे यह पता चल सके कि मृतक की मृत्यु मानववध के अतिरिक्त कुछ अन्य थी। इस प्रकार, शव परीक्षण रिपोर्ट, शव परीक्षा शल्य चिकित्सक के साक्ष्य के साथ-साथ मृत्यु समीक्षा पंचनामा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु मानववध थी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के उचित विवेचना के आधार पर तथ्य का निष्कर्ष है। इस प्रकार, यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो गया है कि मृत्यु की प्रकृति मानववध की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब हमें यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का परीक्षण करना है कि क्या यह अपीलार्थी है जो प्रश्नाधीन अपराध का लेखक है।

12. मृतक के भाई अभि०सा०-1 केजुराम का कथन है कि लगभग एक साल पहले अपीलार्थी मृतक के साथ विवाह करने के लिए भाग गया था, जिसके संबंध में गाँव-डोड्डे कादर में एक बैठक बुलाई गई थी, जहाँ अपीलार्थी ने कहा था कि वह अपनी बहन/मृतक को रखेगा और वे दोनों विवाह के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि, उनके एक महीने साथ रहने के बाद, अगस्त के महीने में डोड्डे कादर के ग्रामीण आए और उसे बताया कि उसकी बहन सोमारी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वह अपने चाचा चमन सिंह, छोटे भाई लाल साई, माँ किलियारी बाई के साथ आरोपी के घर गए और देखा कि सोमारी बरामदे में खाट पर पड़ी थी और उसके गले पर चोट थी। उसने कथन किया है कि जब जल्लूराम उईके ने आरोपी से उसकी मृत्यु के बारे में पूछताछ की, तो उसने खुलासा किया कि उसने खेत में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी क्योंकि वह उससे विवाह नहीं करना चाहता था। अपीलार्थी का संस्वीकृति पंचनामा प्रदर्श पी/1 है जिसके अ से अ भाग तक उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में, वह कंडिका 18 में

स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी/1 का उक्त संस्वीकृति पंचनामा थाना प्रभारी द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके साथ ग्रामीणों ने भी हस्ताक्षर किए थे।

13. अ.सा.-2 चमन सिंह ध्रुव मृतक का चाचा है तथा अ.सा.-3 लाल साय मृतक का भाई है। उन्होंने यह भी बताया कि सोमारी की गंभीर हालत की जानकारी मिलने पर वे केजूराम, श्रीमती किलियारी और सनकी बाई के साथ आरोपी के घर गए, जहां सोमारी बरामदे में खाट पर पड़ी हुई थी और उसका शरीर कपड़े से ढका हुआ था। उन्होंने उसकी गर्दन पर लाल रंग का निशान देखा था। उनका कथन है कि जब आरोपी के कुटुंब के सदस्यों में से एक जल्लूराम उईके ने आरोपी से उसकी मृत्यु के बारे में पूछताछ की, तो आरोपी ने खुलासा किया कि उसने खेत में गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। वे संस्वीकृति पंचनामा प्रदर्श पी/1 पर क्रमशः ब से ब और स से स भाग तक अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं। तथापि, प्रतिपरीक्षण में वे स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी/1 का उक्त संस्वीकृति पंचनामा गाँव में पुलिस द्वारा लिखा गया था और उन्होंने उसी पर हस्ताक्षर किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अ.सा.-13 मणिराम का यह भी कहना है कि सुनाराम सोमारी के साथ भाग गया था और उसे विवाह के लिए गाँव-पंचगी में अपने घर ले गया और गाँव की बैठक में वे विवाह के लिए सहमत हो गए थे। वह भी स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी/1 संस्वीकृति पंचनामा पुलिस द्वारा लिखा गया था और अपीलार्थी ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

15. अ.सा.-9 जल्लुराम का कथन है कि उसने मर्ग सूचना प्र.पी/14 दी थी तथा उसने अ से अ भाग तक अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये थे। वह संस्वीकृति पंचनामा प्रदर्श पी/1 पर द से द भाग तक अपने हस्ताक्षर होने को भी स्वीकार करता है। प्रतिपरीक्षण में, वह स्वीकार करता है कि संस्वीकृति पंचनामा प्रदर्श पी/1 पुलिस द्वारा लिखा गया था।

16. अपीलार्थी की चाची, अ.सा.-10 फग्गी बाई कथन करती हैं कि घटना की तारीख को सुबह लगभग 8 बजे उसकी जेठानी श्रीमती दशरी बाई और उसके जेठ के बेटे सुनाराम (अपीलार्थी)

और सोमारी ध्रुव (मृतक) खेत की ओर रवाना हुए थे। उसने कथन किया है कि लगभग 1 बजे सोमारी बाई की मृत्यु हो गई थी और सुनाराम, एक ग्रामीण और दशरी बाई सोमारी ध्रुव को कंधे पर रखकर घर लाये थे। उसने कथन किया है जब उसने सुनाराम से पूछा कि सोमारी की मृत्यु कैसे हुई, तो उसने जवाब दिया कि दौरा पड़ने के उसकी मृत्यु हो गई।

17. अ.सा.-11 पवन वर्मा, इंस्पेक्टर ने कथन किया है कि जल्लूराम ने दिनांक 31.8.2016 को सूचित किया था कि अपीलार्थी सोमारी ध्रुव से विवाह नहीं करना चाहता था और इसलिए, उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने मर्ग सूचना प्रदर्श पी/14 और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/13) दर्ज कराया।

18. अ.सा.-14 सनकीबाई ने कथन किया कि घटना की तिथि को वह अपने खेत गई थीं। उस समय, अभियुक्त/अपीलार्थी "चाचा, चाचा" चिल्लाया, जिस पर उसने उसे बताया कि उसके चाचा आज नहीं आए हैं। फिर आरोपी ने उसे वहाँ लाने के लिए कहा। उसी समय, आरोपी ने उसे बताया कि सोमारी ठीक हो गई है और इसलिए, वह अपने पति को फोन करने के लिए अपने घर गई, तथापि, उसके पति ने वहां जाने से इनकार कर दिया। उसने कथन किया कि खेत से लौटते समय उसने रास्ते में धनीराम को सोमारी को दौरा पड़ने के बारे में सूचित किया। कंडिका 3 में उसने कथन किया है कि कुछ समय बाद सुनाराम सोमारी के शव को घर ले आया। प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सोमारी दौरा कैसे पड़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस प्रकार सभी साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष कथित संस्वीकृति की थी और संस्वीकृति पंचनामा (प्रदर्श पी/1) पुलिस द्वारा तैयार किया गया था। ऐसा होने के कारण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के उपबंधों को देखते हुए, पुलिस के समक्ष इस तरह के संस्वीकृति कथन का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है और इसे आरोपी के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अ.सा.-1 केजराम, अ.सा.-2 चमन सिंह

और अ.सा.-3 लाल साई ने अपनी प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी/अपीलार्थी का मृतक के साथ प्रेम संबंध था और गाँव की पंचायत के बाद वह उसे अपने घर ले आया था और वे एक साथ रह रहे थे। अ.सा.-10 फग्नी बाई ने मृतक और आरोपी को एक साथ देखा था जब वे खेत के लिए रवाना हो रहे थे। अ.सा.-14 सानी बाई खेतमें उपस्थित थीं जब आरोपी/अपीलार्थी और मृतक वहाँ थे और आरोपी ने उसे अपने पति को यह कहते हुए बुलाने के लिए भेजा था कि मृतक को दौरा पड़ा है और उसके बाद, जैसा कि साक्षियों ने कथन किया था, अपीलार्थी सोमारी के शव को कंधे पर लिए अपने घर वापस ले आया था। अ.सा.-10 फग्नी बाई और अ.सा.-14 सनकी बाई अपने कथन में अडिग रहीं थी कि आरोपी/अपीलार्थी मृतक की मृत्यु से कुछ समय पहले उसके साथ था। यहां तक कि सनकी बाई भी घटना के समय खेत में उपस्थित थीं और आरोपी ने उसे यह कहकर उसके पति को बुलाने के लिए घर भेज दिया कि सोमारी को दौरा पड़ा है। कुछ समय बाद, उसके शव को अपीलार्थी द्वारा घर वापस लाया गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण श्वासरोध से हुई श्वसन विफलता है और मृत्यु की प्रकृति मानवघाती है। शव परीक्षा शल्य चिकित्सक ने गर्दन पर चोट के नीचे उत्सरण और हाइड हड्डी का अस्थिभंग भी पाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन अपने कथन में आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। प्रश्न संख्या 44 के उत्तर में उसने कथन किया कि यह सत्य है कि उसने अपनी चाची फग्नी बाई को सूचित किया था कि मृतक मिर्गी से पीड़ित थी। प्रश्न संख्या 73 के उत्तर में उसने स्वीकार किया था कि घटना की तिथि को शाम लगभग 5 बजे उसने पीडब्ल्यू-14 सनकी बाई, जो खेत में काम कर रही थीं, से चाचा को फोन करने के लिए कहा था क्योंकि सोमारी को दौरा पड़ा था।

21. **तुलशीराम सहदु सूर्यवंशी और अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2012) 10 SCC 373** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया था:

"23. यह सुस्थापित विधि है कि तथ्य की उपधारणा साक्ष्य की विधि का एक नियम है जिसमें अन्यथा संदिग्ध तथ्य की उपधारणा का अनुमान कतिपय अन्य प्रमाणित तथ्यों से लगाया जा सकता है। जब प्रमाणित तथ्यों के अन्य समूह से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान निकाला जाता है, तो न्यायालय तर्क प्रक्रिया का प्रयोग करती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त स्थिति और प्रबल हो जाती है। यह न्यायालय को किसी भी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा करने का अधिकार देता है जो उसे लगता है कि होने की संभावना है। उस प्रक्रिया में, न्यायालयों को प्रकरण के तथ्यों के अतिरिक्त प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखना होगा। इन परिस्थितियों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित सिद्धांतों का भी उपयोग किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस धारा का उद्देश्य अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष को उसके दायित्व से मुक्त करना नहीं है, अपितु यह उन प्रकरणों में लागू होगा जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को प्रमाणित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक युक्तियुक्त अनुमान निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के बारे में अपनी विशेष जानकारी के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. हाल ही में, **अनीस विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य सरकार, 2024 INSC 368** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निबंधनों में अभिनिर्धारित किया था:

"40. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाली परिस्थितियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता की भरपाई के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का अवलंब नहीं लिया जा सकता। इस धारा का उपयोग किसी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को प्रमाणित करने के दायित्व का निर्वहन नहीं करता है। यह अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है कि एक अपराध कारित किया गया था, यद्यपि यह विशेष रूप से यह अभियुक्त के ज्ञान में हो और अभियुक्त पर यह प्रमाणित करने का दायित्व अधिरोपित नहीं करता है कि कोई अपराध नहीं किया गया था। ऐसे प्रकरण में जहां अन्य परिस्थितियां स्वयं उसकी व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं हैं, युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के अभाव में अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाना अभियोजन को उसके वैध दायित्व से मुक्त करना है। इसलिए, जब तक इस तरह के साक्ष्य द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक दायित्व आरोपी पर अंतरित नहीं होता है। "

23. निस्संदेह, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जो प्रश्नाधीन अपराध में उसकी संलिप्तता को प्रमाणित करता हो तथा सम्पूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। उपरोक्त साक्ष्यों से यथाविवेचित अनुसार यह संदेह से परे प्रमाणित हो गया है कि आरोपी और मृतक के बीच प्रेम संबंध था और घटना से पहले वे एक साथ रह रहे थे। अ.सा.-14 सनकी बाई ने घटना की तिथि को आरोपी और मृतक को खेत में एक साथ देखा था और आरोपी के कहने पर वह अपने पति को बुलाने के लिए घर गई थी और कुछ समय बाद आरोपी सोमारी के शव को घर लेकर आ गया। अभियोजन पक्ष द्वारा इस तथ्य को विधिवत प्रमाणित किया गया है। चिकित्सीय साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि उसकी मृत्यु गला घोंटने के कारण श्वासरोध से हुई श्वसन विफलता से हुई थी। उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकरण में आरोपी को यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक था कि खेत में मृतक के साथ क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में उसकी गर्दन पर चोट लगी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सभी तथ्य अभियुक्त/अपीलार्थी के विशेष ज्ञान में थे, तथापि, अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था तथा अपितु उसने झूठा बहाना बनाया कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। इस प्रकार, अभियुक्त का यह आचरण उसके अपराध की ओर भी इंगित करता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ जीवित देखा जाना; अपीलार्थी की यह समझाने में विफलता कि मृतक की गला घोंटकर हत्या कैसे की गई थी; घटना के दौरान और उसके बाद उसका आचरण; अभिलेख पर उपलब्ध निर्विवाद मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य; को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपराध का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के उचित विवेचना पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार अपीलार्थी के विरुद्ध अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है। अपीलार्थी के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित निर्णय तथ्यों पर सुभिन्न होने से, उनके लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं हैं। इस प्रकार, इस अपील में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की कोई संभाव्यता नहीं है।

25. परिणामस्वरूप, अपील में कोई गुणदोष नहीं होने से, यह निरस्त किये जाने योग्य है और तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी के कारावास में होने की सूचना है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी, समर्पण आदि के संबंध में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(सचिन सिंह राजपूत)
न्यायाधीश

मो. अख्तर खान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**